फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

जमनालाल पिता स्व. मोहनलाल काबरा

बनाम

ग्राम पंचायत तुर्कियाखुर्द वगैरा

प्रकरण संख्या 13/2016 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष आज भी उपस्थित नहीं। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई भी उपस्थित नहीं। उभय पक्ष के अधिवक्ता प्रकरण में दिनांक 06.07.2022 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उभय पक्ष को दिनांक 02.09.2022 को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होगा फिर भी उभय पक्ष के अधिवक्ता आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के विकास अधिकारी, पं. स. कपासन के मार्फत् प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	